6.10 पुनः पंजीकरण

प्रत्येक कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि निर्धारित की गयी है। अधिकतम अवधि में यदि शिक्षार्थी कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाता है और वह पुनः उस कार्यक्रम को पूरा करना चाहता है तो उसे पुनः पंजीकरण कराना होगा। जिसके लिए शिक्षार्थी को कार्यक्रम शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा। शिक्षार्थी अधिकतम अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त जितने क्रेडिट के कार्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुका है उसे सुरक्षित रखा जायेगा तथा शेष क्रेडिट के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पुनः पंजीकरण की **अवधि एक (01) वर्ष है।** जो अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात आगामी एक (01) वर्ष के लिए ही मान्य होगी। शिक्षार्थी स्वयं आश्वस्त हो लें कि वे अपने सम्पूर्ण प्रश्न पत्रों को एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेंगे। यदि वे सम्पूर्ण प्रश्न पत्रों को एक वर्ष में पूर्ण नहीं कर पाते तो पुनः उन्हें कार्यक्रम पूर्ण करने की छूट/अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। जिन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुआ होगा और इस परिवर्तित पाठ्यक्रम के क्रेडिट पूर्ण करने अवशेष है तो शिक्षार्थी को परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा देनी होगी। परिवर्तित पाठ्यक्रम की सामग्री उसे निःशुल्क दी जायेगी। यदि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे दुबारा पाठ्यसामग्री नहीं दी जायेगी।

6.11 विवाद

शिक्षार्थी और विश्वविद्यालय के बीच किसी भी विवाद के मामले में मुकदमे का क्षेत्र इलाहाबाद नगर होगा। किसी भी प्रकरण से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण एवं सुनवाई हेतु शिक्षार्थी प्रवेश तिथि एवं परीक्षा से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु 1 वर्ष के अन्दर ही अपना पक्ष प्रस्तुत करें। 1 वर्ष के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6.12 पाठ्य सामग्री का वितरण

ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फार्म पूरित करते समय शिक्षार्थी को स्वअध्ययन सामग्री प्रेषण हेतु आवेदन पत्र में शिक्षार्थी का नाम, कार्यक्रम का नाम, चुने हुए प्रश्नपत्रों का विवरण, माध्यम, शुल्क विवरण, अध्ययन केन्द्र का नाम एवं अपना पता भी आवेदन पत्र में पूर्ण रूपेण पूरित करना अनिवार्य है। पाठ्य सामग्री छात्रों को पंजीकृत डाक/अध्ययन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए शिक्षार्थी अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क बनाए रखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पाठ्य सामग्री का जो भी माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) उपलब्ध हो उसे स्वीकार करना होगा परन्तु शिक्षार्थी किसी भी माध्यम में परीक्षा देने के लिए स्वतंत्र है। **छात्रों की सुविधा के लिए इस वर्ष से अध्ययन केन्द्र तक एक साथ सभी छात्रों की पाठ्य सामग्री भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है। छात्रों से अपेक्षित है कि वे विलम्ब होने की स्थिति में वे अपनी पाठ्य सामग्री अपने अध्ययन केन्द्र/विश्वविद्यालय केन्द्र से प्राप्त करे लें।**

6.13 अध्ययन केन्द्र/सम्पर्क केन्द्र की कार्यप्रणाली

प्रत्येक अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र पर एक केन्द्र समन्वयक होता है। जो उस केन्द्र के प्राचार्य के नियंत्रण में केन्द्र का संचालन करता है तथा पठन–पाठन, विचार–विनिमय, पुस्तकालय, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार करता है। समन्वयक द्वारा ही शिक्षार्थी को सूचना, मार्गदर्शन तथा अध्ययन से सम्बन्धित अन्य जानकारी समय–समय पर उपलब्ध कराई जाती है। समन्वयक द्वारा ही परामर्श सत्र एवं अन्य शैक्षिक क्रिया–कलापों की समय–सारणी घोषित की जाती है। प्रवेश के उपरान्त छात्रों को किसी भी सूचना के लिए अपने केन्द्र समन्वयक से सम्पर्क करना चाहिए। प्रदेश के प्रत्येक अध्ययन केन्द्र/सम्पर्क केन्द्र पर पठन–पाठन एवं शिक्षार्थी–परामर्शदाता सम्पर्क की ऐसी व्यवस्था की गयी है, जिससे सरकारी एवं गैरसरकारी पेशा वाले एवं अन्य कार्य करने वाले व्यक्ति बिना किसी अवरोध के केन्द्र द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार परामर्श सत्र/सम्पर्क सत्र के माध्यम से पठन–पाठन कर सकें। परामर्श सत्रों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुभवी एवं योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। बहुतायत शिक्षार्थी की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए परामर्श सत्रों का आयोजन अवकाश के दिनों में ही कराया जाता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा इलाहाबाद एवं लखनऊ आकाशवाणी केन्द्रों से प्रातः 2 घंटे की अवधि में ज्ञानवाणी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों पर आधारित व्याख्यान प्रसारित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के 5 अध्ययन केन्द्रों – बलिया, जौनपुर, इलाहाबाद [शैक्षिक परिसर] लखनऊ एवं मुरादाबाद पर दूरस्थ शिक्षा परिषद् के सौजन्य के डाउन लिंक की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी इग्नू द्वारा मनोनीत प्राध्यापक एवं अन्य विशिष्ट विद्वानों द्वारा दिये गए व्याख्यानों को अपने केन्द्र में टी0वी0 पर देखकर लाभान्वित हो रहे है।

6.13.1 अध्ययन केन्द्र का आबंटन

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों एवं अन्य रजिस्टर्ड संस्थाओं को इस विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र बनाया गया है। जिनकी सूची **परिशिष्ट–1** में दी गयी है और उसमें प्रत्येक केन्द्र पर संचालित कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। शिक्षार्थी प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय अध्ययन केन्द्र का चयन करने में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उस केन्द्र पर उनके द्वारा चयनित कार्यक्रम चल रहा हो, जिससे उन्हें उनके द्वारा चयनित केन्द्र आबंटित हो सके। **यदि कोई शिक्षार्थी ऐसे केन्द्र का चयन करता है जहाँ पर उसके द्वारा चयनित कार्यक्रम अनुमन्य नहीं है तो उस शिक्षार्थी को अन्य केन्द्र पर जहाँ वह कार्यक्रम उपलब्ध है, बिना किसी पूर्व सूचना के स्थानांतरित कर दिया जायेगा और उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।** यदि किसी अध्ययन केन्द्र द्वारा अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है। इन परिस्थितियों में यदि विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र बन्द कर दिया जाता है तो वहाँ